


37/19

वकील प्रार्थना एवं चाग्रप्रतिज्ञा उपर।
 यह प्रार्थना पत्र अक्टूबर 235
 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 151 CPL के तहत
 उपरवक्त अधिकारी अंतरण के न्यायालय में विचारधीन
 राजस्व दाद संख्या 70/2014 अक्टूबर 212 RTI
 को स्थिती अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु
 पेश किया। जिसमें तत्कालीन अधिकारी से न्याय नहीं
 मिलने का दावेप किया गया था। वर्तमान में तत्कालीन
 उपरवक्त अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है जिससे
 न्याय मिलने की उमीद नहीं थी इसलिए यह प्रार्थना
 पत्र प्रयायशून्य (infuctuous) हो जाने से
 यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उपरवक्त अधिकारी अंतरण की
 प्रक्रिया अधिनियम कार्यवाही हेतु पुनः घोषित की
 जावे। आदेशकी प्रति संलग्न निजपरि आवे।
 प्रक्रिया इस न्यायालय से शुरू कराने
 की जाकर नम्बर से कम है।


 जिला कलेक्टर, गाली